

3

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा तकनीकी अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक 1209 दिनांक 07.05.2013 द्वारा प्राप्त हुई है। माननीय सांसद द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति दिनांक 29.06.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकी अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा के माध्यम से कराई जाएगी। कार्य आरंभ की सूचना प्राप्त होने पर राशि विमुक्त की जाएगी।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रखंड	तकनीकी अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वी० राशि
1	2	3	4	5
1	चण्डीस्थान के निकट सौन्दर्यीकरण हेतु पक्के चबुतरे का निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	499400.00	499400.00

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्तों के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्तें-

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।



9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षों से किसी अन्य मद से नहीं कराया गया हो।
10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एजेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णतः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

प्रतिलिपि— ज्ञापांक / जि०यो०, दिनांक
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

प्रतिलिपि— ज्ञापांक / जि०यो०, दिनांक
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

प्रतिलिपि— ज्ञापांक / जि०यो०, दिनांक
माननीय सांसद, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बुद्धा कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग रोड पटना को सूचनार्थ समर्पित।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

प्रतिलिपि— ज्ञापांक 291 / जि०यो०, दिनांक 12/2/13
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।